फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

केवलराम बनाम अशोक वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं [illegible]/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.10.2019	प्रार्थी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मौजा जूना सोमेसरा पटवार मण्डल नोसर तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थी वकील के कथनानुसार विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे एवं काश्त की भूमि में विप्रार्थी फसल को खुर्द बुर्द एवं मौके पर तनाजा होने का कथन किया एवं हस्तक्षेप एवं बाधा कारित करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 12.11.2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी जूना सोमेसरा पटवार मण्डल नोसर तहसील बायतु के खेत क्रमशः खसरा नम्बर 8,44,4,42 क्रमशः रकबा 112.03, 19.01, 19.16, 23.02बीघा की भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं हक हिस्से में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे न ही हस्तक्षेप एवं बाधा कारित करें। वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभय पक्षकारान् पाबन्द रहे। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 12.11.2019 को पेश हों।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:35:53 IST
Reason: SelfAttested

12/11/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। विपक्षी संख्या-1व2 की ओर से मूल वाद में वकील श्री नरपत सिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अतः विपक्षी संख्या-1व2 के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 30/12/19 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO) ब्यावर

30/12/19 प्रार्थी वकील व विपक्षी संख्या-1व2 के वकील उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/02/2020 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

10/02/2020 पत्रावली आज पेश हुई। वकलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 18/03/2020 को पेश हो।

18/03/2020 प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1व2 के वकील उपस्थित। शेष विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षी संख्या-1व2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाइनल पेश करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/04/2020 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO) ब्यावर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:35:53 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/04/2020	प्रथम पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया अतः मिसल श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कामों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 28/05/2020 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।	
28/05/2020	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कामों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 15/07/20 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।	
15/07/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा बताया कि हम प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य समझौता हो गया है। हम उक्त आवेदन आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन Not press किया गया। अतः प्रार्थी का आवेदन जरिये Not press खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। विवेक व्यास 15.7.20	Not Press

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:35:53 IST
Reason: SelfAttested